केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/20/00049
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/20/00162

**अपीलकर्ता : श्री संजय गुप्ता**
**झुग्गी नं. 1, बी - 39**
**कर्मपुरा, पिछली साईड,**
**नई दिल्ली - 110015.**

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 03.03.2020 |
| केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 09.03.2020 |
| आर.टी.आई.के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 26.05.2020 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री आर. पी. ग्रोवर |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 02.06.2020 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 24.06.2020 |
| निर्णय की तारीख | 06.07.2020 |

**मांगी गई सूचना**

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 03.03.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/DS/A/2013/001480/YA के अनुपालन से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

1. मेरे दिनांक 23.03;2015 के शिकायत पत्र पर जो नोटिंग शीट तैयार की गई उस की फोटो कापी उपलब्ध करवाएं ।
2. मेरे शिकायत पत्र दिनांक 23.03.2015 पर माननीय आयोग द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे, उस आदेश की लिखित जानकारी उपलब्ध करवाएं ।
3. मेरे दिनांक 23.03.2015 के शिकायत पर प्रतिवादी पक्ष उत्तरी दिल्ली नगर नगम व दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जो लिखित दस्तावेजों व अपना लिखित पक्ष रखा गया था, उन सभी दस्तावेजों की फोटो कापी उपलब्ध करवाएं ।
4. मेरे दिनांक 23.03.2015 व 25.02.2016 के शिकायत पत्र की दैनिक प्रगति रिपोर्ट की लिखित जानकारी उपलब्ध करवाएं ।
5. मेरे दिनांक 23.03.2015 व 25.02.2016 के शिकायत पत्र पर जांच कर कार्यवाही हेतु किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी । उन सभी अधिकारियों के नाम, पद व पते की लिखित सूची उपलब्ध करवाएं ।
6. मेरे दिनांक 26.07.2019 के शिकायत पत्र की दैनिक प्रगति रिपोर्ट की लिखित जानकारी उपलब्ध करवाएं ।
7. मेरे दिनांक 26.07.2019 के शिकायत पत्र पर जांच कर कार्यवाही हेतु किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, इसकी लिखित जानकारी अधिकारियों के नाम, प व पते के साथ लिखित सूची उपलब्ध करवाएं ।
8. प्रतिवादी पक्ष द्वारा अधूरी सर्वे रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही को सोची समझी साजिश के तहत करने पर माननीय आयोग द्वारा इस कानून की किन किन धाराओं के तहत कार्यवाही करने का अधिकार तय है, उन सभी धाराओं की लिखित जानकारी उपलब्ध करवाएं ।

9. मेरे दिनांक 23.03.2015, 25.02.2016 व् 26.07.2019 के शिकायत पत्रों को आयोग के समक्ष प्रेषित होने के उपरांत माननीय आयोग द्वारा प्रतिवादी पक्ष को कितने पत्र, नोटिस भेजे हैं, उन सभी पत्रों व नोटिस की फोटो कापी उपलब्ध करवाएं ।

10. बिंदु सं. 9 में प्रतिवादी पक्ष द्वारा पत्रों व नोटिस के उपरांत जो लिखित पत्र, दस्तावेज व अपना लिखित पक्ष प्रेषित किया है, उन सभी दस्तावेजों की फोटो कापी उपलब्ध करवाएं ।

**प्रदान की गई सूचना**

2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 26.05.2020 के पत्र के माध्यम से बिंदुवार निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

1. No noting sheet is available on record.
2. No order is available on your letter dated 23.03.2015
3. No information available on record
4. No information is available on record
5. As per record no action has been taken on your letters dated 23.03.2015 and 25.02.2016
6. No action is taken
7. As per point no. 6
8. Not covered under RTI Act.

9 & 10. You can inspect the appeal file which is available in pdf form and get the photo copies from available record on payment basis as per RTI Act.

Due to countrywide lock down office were closed around a month and there after open with the lower staff.

**प्रथम अपील का आधार**

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि "मेरे दिनांक 03.03.2020 के आवेदन पत्र पर दिनांक 26.05.2020 को सूचना पर उपलब्ध करवाया गया है, जिस पत्र को पढ़ने से ज्ञात होता है कि आवेदन पत्र पर संज्ञान ले कार्रवाई नहीं की गई, जिसके साक्ष्य निम्न हैं :-

- यह कि सूचना पत्र में आवेदक का नाम व पते को सोच समझ कर गलत लिखा गया, जिस से पत्र प्राप्त न हो सके ।
- यह कि मेरे आवेदन पत्र में लिखित रूप में लिखा हुआ है कि सूचना पत्र व आदेश पत्र हिंदी भाषा में लिखित रूप में उपलब्ध करवाएं, उसके उपरांत अंग्रेजी भाषा में सूचना पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया गया है ।
- मेरी अधूरी सूचना देने के शिकायत पत्रों पर आज तक संज्ञान लेने की कार्रवाई नहीं की गई, जब कि इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु मैंने आवेदन किया तो सत्य को छुपाने हेतु गलत सूचना पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया गया, जिसके साक्ष्यमेरे बिंदु 1 से 5 की सूचना पढ़ने से पता लगता है और बिंदु 9 व 10 के किन दस्तावेजों के किन दस्तावेजों का निरीक्षण करवा जानकारी दी जाएगी । जब कि आपके द्वारा मेरे सन 2015 व 2016 के शिकायत पत्र व 2019 के शिकायत पत्र पर कार्यवाही को सोची समझी साजिश के तहत नहीं किया है ।
- मेरे बिंदु सं. 8 की जानकारी को इस लिए छुपाने की कार्यवाही को किया गया है जिस से सही जानकारी मिलने के उपरांत उन धाराओं के तहत शिकायत पत्र प्रेषित कर कार्रवाई की मांग न कर सकूं । इस कारण मुझे भ्रमित करने वाली सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई ।

अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में अनुरोध किया है कि:-

"मेरे आवेदन पत्र को स्वयं पढ़ व सूचना पत्र का निरीक्षण कर आप मुझे सही जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आदेश पारित करें व सूचना पत्र को स्वयं निरीक्षण कर सही सूचना होने पर सूचना पत्र अपने कार्यालय से स्वयं सत्यापित कर मुझे उपलब्ध करवाएं । दिनांक 26.05.2020 के सूचना पत्र को गलत तरीके से तैयार करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच कर विभागीय कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रयास करने वाले आवेदकों को मानसिक आघात न पहुँचे" ।

**निर्णय**

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 03.03.2020 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 09.03.2020 को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के अनुसार श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय सूचना अधिकारी, द्वारा दिनांक 26.05.2020 के पत्र के माध्यम से जवाब प्रेषित कर दिया गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी केवल लोक प्राधिकरण (Public Authority) के दस्तावेजों में उपलब्ध सूचनाएं ही प्रदान कर सकता है, वह किसी प्रकार की सूचना निर्मित नहीं कर सकता । हालांकि आर.टी.आई. आवेदन हिंदी भाषा में है एवं अपीलकर्ता ने हिंदी भाषा में ही सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध भी किया है, परन्तु सूचना अंग्रेजी भाषा में प्रेषित की गई है तथा अपीलकर्ता का नाम व पता भी ठीक-ठीक नहीं लिखा गया है । अत: श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में हिंदी में प्राप्त होने वाले आर.टी.आई. आवेदनों से संबंधित सूचनाएं भी हिंदी भाषा में ही प्रदान की जाएं एवं यह सुनिश्चित की जाए कि अपीलकर्ता के नाम व पते भी ठीक-ठीक लिखे जाएं ।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग,बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 06 जुलाई, 2020

मीना शर्मा 06/7/2020

**(मीना बलिमने शर्मा)**
**प्रथम अपीलीय अधिकारी**
**दूरभाष - 011-26162290**

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (RTI Cell), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC (YS), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।